राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 58/2019
निर्णय दिनांक :– 31/3/2022

वादीनीः–

1. चिमना पुत्र गोमा के वारिसान :–
   1/1– भंवरी पुत्री चिमना जाति–खारडिया सिरवी, आयु– 36वर्ष
   निवासी–उन्दरथल, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. इन्दा पुत्र मुकनाजी के वारिसान :–
   1/1– ऐजीदेवी पत्नी इन्दाराम
   1/2– कीकाराम पुत्र इन्दाराम
   1/3– चेनाराम पुत्र इन्दाराम
   1/4– लालाराम पुत्र इन्दाराम
   1/5– सोनकी पुत्री इन्दाराम
2. सकाराम उर्फ सरूपराम पुत्र मुकनाजी आयु–75 वर्ष
3. गजाराम पुत्र ओटाराम आयु–55 वर्ष
4. हीराराम पुत्र ओटाराम आयु– 50 वर्ष
5. मोटा पुत्र पन्नाजी आयु– 74 वर्ष
   तमाम जातिगण– खारडिया सिरवी, निवासीगण– उन्दरथल
   तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राजस्थान)
6. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्री शंकरलाल मीणा अधिवक्ता वादी की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

–: निर्णय :– दिनांक 31/3/2022

वाद के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

मौजा ढालोप पटवार हल्का ढलोप तहसील–देसूरी में स्थित पुराने खसरा नम्बर 251 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा जमीन आई हुई है जिसके नये खसरा नम्बर 421 रकबा 0.0100 हेक्टर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.0500 हेक्टर किस्म गै.मु सडा, खसरा नम्बर 423 रकबा 3.2800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 424 रकबा 3.4800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.3800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा 05 रकबा 7.2000 हेक्टर कृषि भूमि विद्यमान है।

यह कि वादग्रस्त आराजियात की पुरानी जमाबंदी संवत् 2023–2026 में वादीनी के पिता, दादा, परदादा का नाम निम्नानुसार पन्ना, मोटा, बेटा पोता टुआ सिरवी, मुकना, इन्दा, सकीया, पेमा, चिमना पिसरान गोमा, ओटा गुमना पिसरान कुपा सिरवी उन्दरथल नाम दर्ज था जो गलत दर्ज हो गया था वास्तविक नाम इस प्रकार है – **गोमाराम का पुत्र मुकना, मुकना के पुत्र इन्दा, सकीया उर्फ सरूप, पेमा व चिमना थे।** जो गलत इन्द्राज संवत् 2023–2026, 2027–2030 व संवत् 2031–2034 में यथावत् चलता आया है व उसके बाद सेटलमेन्ट की कार्यवाही हुई व फौतेदगी नामान्तरणकरण हुये व सेटलमेन्ट के बाद में जमाबंदी संवत् 2047–2050 बनी जिसमें **मुकना, इन्दा, सकीया, पेमा, चिमना पिसरान गोमा दर्ज किया गया** जो दौराने सेटलमेन्ट गलत दर्ज किया गया। जबकि वास्तव में गोमाराम का पुत्र मुकना है व मुकना के पुत्र इन्दा, सकीया उर्फ सरूप, चिमना, पेमा है। सेटलमेन्ट के दौरान गलत इन्द्राज हुये उसी गलत इन्द्राज के अनुसार वर्तमान जमाबंदी जो कम्प्यूटराईज्ड बनी जिसमें हिस्सो का निर्धारण हुआ उसमें भी वादीनी के पूर्वजों के नाम गलत दर्ज हो गये है जो निम्न प्रकार है – चिमना पुत्र गोमा 1/12वां हिस्सा, पेमा पुत्र गोमा 1/12 वां हिस्सा, मुकना पुत्र इन्दा 1/12 वां हिस्सा व सकाराम पुत्र गोमा 1/12 वां हिस्सा गलत दर्ज हो गया।

यह कि वास्तविक वंशावली अनुसार गोमा के वारिसान निम्न प्रकार है :–

गोमाराम(फौत)
↓
मुकना (फौत)
↓

इन्दा | सकीया उर्फ सरूप | चिमना(फौत) | पेमा(लाऔलाद फौत)

भंवरी(वादीनी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त वंशावली के अनुसार वाग्रस्त आराजियात में गोमा के वारिसान का वादग्रस्त आराजियात में 1/3 हिस्सा आता है। उसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्सा

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

वादीनी के पिता चिमना व काका इन्दा, सकीया उर्फ सरूप काबिज थे व पेमा अविवाहित ही लाऔलाद फौत हो गया था जिससे उसका हिस्सा वादीनी के पिता चिमना व प्रतिवादी सख्या 1 व 2 में मर्ज हो गया था। उसके बाद वादीनी के पिता चिमना के पक्ष दिनांक 11.06.1986 को सकाराम उर्फ सरूप व इन्दा पुत्र मुकना ने पुराने खसरा नम्बर 251 रकबा 47 बीघा 3 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम में से अपने-अपने हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीनी के पिता चिमना के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा के प्रदान कर दिये थे। उक्त रजिस्टर्ड हकतर्कनामा की फोटो प्रति संलग्न है। इस प्रकार वादीनी वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से की एकमात्र खातेदार एवं मालिक होने से खातेदारी प्राप्त करने का वाद अन्तर्गत धारा 88 के तहत वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादग्रस्त आराजियात के वर्तमान रेकर्ड में चिमना पुत्र गोमा, मुकना पुत्र इन्दा व सकाराम उर्फ सरूप पुत्र गोमा, पेमा पुत्र गोमा दर्ज है जो मात्र लिपिकिय त्रुटि है जिसका शुद्धिकरण किया जाना कानूनन एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप है जो वादीनी के वंशावली अनुसार भी स्पष्टया साबित है जिसका वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार शुद्धिकरण कर **चिमना पुत्र मुकना, इन्दा पुत्र मुकना, सकाराम उर्फ सरूप पुत्र मुकना दर्ज किया जावें** व पेमा पुत्र गोमा लाऔलाद फौत होने से राजस्व रिकॉर्ड से नाम विलोपित किया जावें। बाद शुद्धिकरण जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा अनुसार वादग्रस्त आराजियात से इन्दा पुत्र मुकना व सकाराम उर्फ सरूप का नाम भी हकतर्क अनुसार विलोपित किया जावें। इस हेतु वाद पत्र के साथ सपठित धारा 136 राज. भू-राजस्व अधिनियम के तहत भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

यह है कि वादीनी के पिता चिमना पुत्र मुकना का देहान्त हो जाने के बाद वादीनी अपने नाम का नामान्तरकरण करवाने बाबत पटवारी के पास जाने पर पटवारी ने वादग्रस्त आराजी में नाम गलत होने संबंधित जानकारी दी उसी जानकारी के अनुसार वादीनी ने अपने पिता के घर रहते हुए दस्तावजों की छानबीन की व पुराने दस्तावेज मिलने एवं वर्तमान दस्तावेज की जांच पडताल करने पर वादीनी की जानकारी में आया जिससे विनाय वाद उत्पन्न हुआ व वाद अन्दर अवधिकाल प्रस्तुत है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 3 लगाय 5 राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार होने से पक्षकार बनाया गया है। इनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं मांगा है। प्रतिवादी संख्या 6 तहसीलदार देसूरी राजस्थान सरकार की ओर से भूमिधारी होने से वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें औपचारिक पक्षकार प्रतिवादी संख्या 6 बनाया गया है। जिनके हित के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः इनको धारा 80 सी.पी.सी के नोटिस दिये जाने की कानूनन आवश्यकता नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजियात इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार मौजा ग्राम ढलोप पटवार हल्का ढालोप तहसील देसूरी में विद्यमान होने से व वाद आर.टी. एक्ट के तहत होने से वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत है।

पेज लगातार 04 पर

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

अतः वादीनी ने अपने वादपत्र में जाहिर किया कि बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण माफिक दावा उपरोक्त रूपेण डिक्री फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजियात का वर्तमान रेकर्ड में निम्न शुद्धिकरण किया जावें – चिमना पुत्र मुकना, इन्दा पुत्र मुकना, सकाराम उर्फ सरूप पुत्र मुकना दर्ज किया जावें व पेमा पुत्र गोमा लाऔलाद फौत होने से राजस्व रिकॉर्ड से नाम विलोपित किया जावें। बाद शुद्धिकरण जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क अनुसार वादग्रस्त आराजियात से इन्दा पुत्र मुकना व सकाराम उर्फ सरूप का नाम भी हकतर्क अनुसार विलोपित किया जावें व वादीनी को 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषित किया जावें।

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की फौत होने से वकील वादीनी ने प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी के व संशोधित शीर्षक पेश किया तथा फहरिस्त दस्तावेज पेश किये जो शामिल मिसल किये गये। जिसमें प्रतिवादी संख्या 01 के का.मु. संख्या 1(1) से 1(5) की ओर से वकील श्रीपाल मेघवाल ने वकालत नामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी संख्या 02 से 05 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश किये गये। सरकारी पैरोकार प्रतिवादी संख्या 06 की ओर से जवाब दावा पेश कर वादीनी के वाद पत्र में पैरा संख्या 01 रेकर्ड अनुसार होने से स्वीकार एवं पैरा संख्या 02 वाद में कोई दस्तावेज पेश नहीं करने से अस्वीकार किया, जो शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम की ओर से जवाब हेतु बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में ली गई। वादीनी भंवरी पुत्री स्व. चिमना द्वारा बतौर साक्ष्य वादी शपथ-पत्र पेश किया है। जिनके बयान कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। वादीनी ने अपने बयान में बताया कि प्रदर्श 1- वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2073-2076, प्रदर्श 2 – वादीनी के नाम की जमाबंदी सम्वत् 2073-2076, प्रदर्श 3- वादीनी के पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र, प्रदर्श 4- वादग्रस्त आराजी का मिलान क्षैत्रफल, प्रदर्श 5 – मिसल बन्दोवस्त, प्रदर्श- 6 वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2023-2026, प्रदर्श 7- वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2030-2034, प्रदर्श 8- वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2027-2030, प्रदर्श 9- वादग्रस्त आराजी जमाबंदी सम्वत् 2047-2050, प्रदर्श 10- असल हकतर्क नामा, प्रदर्श-13 ग्राम पंचायत बडौद द्वारा वादीनी के नाम का वारिस प्रमाण-पत्र संलग्न प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता वादीनी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के कायम मुकाम अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता वादीनी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली मय राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने, पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से एवं वादीनी के साक्ष्य के परिपेक्ष्य में हम पाते है कि वादग्रस्त

पेज लगातार 05...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

आराजियात ग्राम ढालोप के पुराने खसरा नम्बर 251 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा जमीन आई हुई है जिसके नये खसरा नम्बर 421, 422, 423, 424, 425 कुल खसरा 05 रकबा 7.200 हेक्टर कृषि भूमि में मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 251 जिससे जमाबंदी संवत 2023–2026 के अनुसार मुकना गोमा का पुत्र है एवं इन्दा, सकीया, पेमा, चिमना मुकना के पुत्र है। जबकि जमाबंदी में इन्दा, सकीया, पेमा, चिमना मुकना के भाई दर्शाया गया है जो बाद जमाबंदी में भी यथावत चला आ रहा है।

वादपत्र के साथ वंशावली पेश है। जिसके अनुसार वादीनी के परदादा गोमा(फौत), दादा मुकना(फौत), पेमा लाऔलाद फौत है। वादीनी भंवरी चिमना की एकमात्र वारिसान है तथा इन्दा व सकीया उर्फ सरूप है। दौराने सेटलमेन्ट इन्दा पुत्र मुकना, सकिया उर्फ सरूप पुत्र मुकना ने जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा के अपने हिस्से वादीनी के पिता स्व. चिमना के पक्ष में कर दिये जाने से सारा हिस्सा चिमना के पास आ गया एवं चिमना की एकमात्र वारिसान वादीनी भवंरी है। उक्त वादग्रस्त आराजियात में गोमा के वारिसान का 1/3 हिस्सा आता है उसी अनुसार वादग्रस्त आराजियात में वादीनी के पिता चिमना, काका इन्दा, सकीया उर्फ सरूप काबिज थे एवं वादीनी के काका पेमा अविवाहित लाऔलाद फौत होने से पेमा का हिस्सा वादीनी के पिता चिमना व प्रतिवादी संख्या 1 इन्दा व प्रतिवादी संख्या 2 सकीया उर्फ सरूप के पक्ष में मर्ज हो गया। उसके बाद वादीनी के पिता चिमना के पक्ष में दिनांक 11.06.1986 को प्रतिवादी संख्या 1 इन्दा पुत्र मुकना व प्रतिवादी संख्या 2 सकीया उर्फ सरूप पुत्र मुकना ने पुराने खसरा नम्बर 251 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा किस्म बा.प्र. में से अपने–अपने हिस्से के खातेदारी अधिकार वादीनी के पिता चिमना के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा के प्रदान कर देने से उक्त वादग्रस्त आराजियात के 1/3 हिस्से की भूमि के एकमात्र खातेदारी अधिकारी वादीनी के पिता चिमना हुए चुंकि वादीनी भंवरी चिमना की एकमात्र वारिसान है जिससे वादीनी अपने पिता चिमना की पैतृक सम्पति में उनके 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा पाने की अधिकारी है। अतः न्यायालय की राय में वादीनी का वाद स्वीकार किया जाना उचित एवम् न्याय संगत है अतएव–

–: आदेश :–

अतः वादीनी का यह वाद अन्तर्गत धारा– 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर बहक वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री [illegible] की जाती [illegible] मौजा ढालोप पटवार हल्का ढालोप तहसील–देसूरी में स्थित पुराने खसरा नम्बर [illegible] रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 421 रकबा 0.0[illegible] हेक्टर किस्म [illegible] खसरा नम्बर 422 रकबा 0.0500 हेक्टर किस्म गे.मु [illegible] रकबा 3.2800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 424 रकबा 3.4800 हे[illegible] किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.3800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल कुल खसरा 05 रकबा 7.2000 हेक्टर कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी में जरिये शुद्धिकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

के चिमना पुत्र गोमा, सकाराम पुत्र गोमा, पेमा पुत्र गोमा, एवं मुकना पुत्र ईन्दा के स्थान पर चिमना पुत्र मुकना, सकाराम उर्फ सरूप पुत्र मुकना एवं इन्दा पुत्र मुकना दर्ज किया जावें तथा पेमा पुत्र गोमा लाऔलाद फौत होने से राजस्व रिकॉर्ड से नाम विलोपित किया जावें। बाद शुद्धिकरण जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा अनुसार वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकर्ड से इन्दा पुत्र मुकना व सकाराम उर्फ सरूप का नाम भी विलोपित किया जाकर वादीनी(भवरी पुत्री स्व. चिमना) को 1/3 हिस्सा खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण 1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी के वादीनी के सहखातेदारी हिस्सों की भूमि में वादीनी के कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में बाधा, रोक–टोक, दखलन्दाजी नहीं करें न ही किसी से करावें तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
(सहायक) कलेक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 31/3/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

वाद में फाईनल डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी देसूरी (पाली)

इजलास श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत आर ए एस

वादीनी	**ब ना म** **प्रतिवादीगण**
1 चिमना पुत्र गोमा के वारिसान :– 1/1– भंवरी पुत्री चिमना जाति–खारडिया सिरवी, आयु– 36 वर्ष निवासी–उन्दरथल, तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)	1. इन्दा पुत्र मुकनाजी के वारिसान :– 1/1– ऐजीदेवी पत्नी इन्दाराम 1/2– कीकाराम पुत्र इन्दाराम 1/3– चेनाराम पुत्र इन्दाराम 1/4– लालाराम पुत्र इन्दाराम 1/5– सोनकी पुत्री इन्दाराम 2. सकाराम उर्फ सरूपराम पुत्र मुकनाजी आयु–75 वर्ष 3. गजाराम पुत्र ओटाराम आयु–55 वर्ष 4. हीराराम पुत्र ओटाराम आयु– 50 वर्ष 5. मोटा पुत्र पन्नाजी आयु– 74 वर्ष तमाम जातिगण– खारडिया सिरवी, निवासीगण– उन्दरथल तहसील–देसूरी, जिला–पाली(राजस्थान) 6. तहसीलदार, देसूरी (भूमिधारी राजस्थान सरकार)

दावा बाबत 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर :– 58/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इसफिसल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वकील वादीगण श्री शंकरलाल मीणा मुदई .... मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मौजा ढालोप पटवार हल्का ढलोप तहसील–देसूरी में स्थित पुराने खसरा नम्बर 251 रकबा 45 बीघा 3 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 421 रकबा 0.0100 हेक्टर किस्म गैर मुमकीन बेरा, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.0500 हेक्टर किस्म गे.मु सडा, खसरा नम्बर 423 रकबा 3.2800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 424 रकबा 3.4800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.3800 हेक्टर किस्म चाही प्रथम जाव अव्वल [illegible] 05 रकबा 7.2000 हेक्टर कृषि भूमि के वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबंदी [illegible] शुद्धिकरण के चिमना पुत्र गोमा, सकाराम पुत्र गोमा, पेमा पुत्र गोमा, एवं मुकना पुत्र इन्दा के स्थान पर चिमना पुत्र मुकना, सकाराम उर्फ सरूप पुत्र मुकना एवं इन्दा पुत्र मुकना दर्ज किया जावे तथा पेमा पुत्र गोमा

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

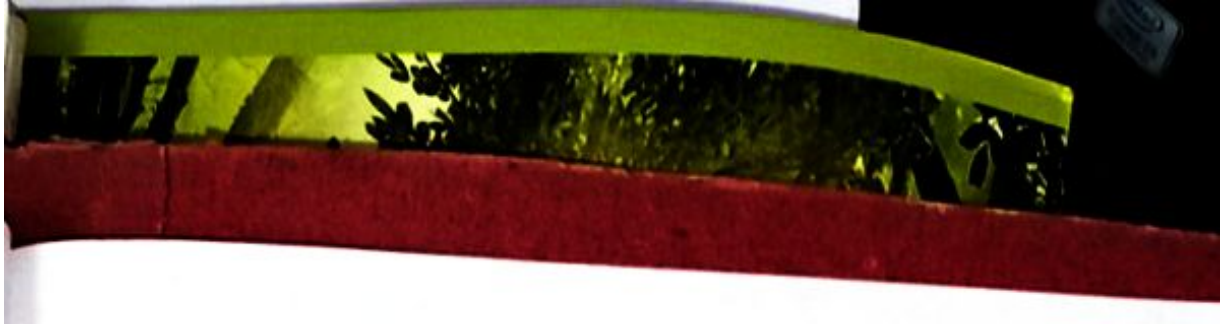

लाऔलाद फौत होने से राजस्व रिकॉर्ड से नाम विलोपित किया जावें। बाद शुद्धिकरण जरिये रजिस्टर्ड हकतर्क नामा अनुसार वादग्रस्त आराजियात के राजस्व रेकर्ड से इन्दा पुत्र मुकना व सकाराम उर्फ सरूप का नाम भी विलोपित किया जाकर वादीनी(भवंरी पुत्री स्व. चिमना) को 1/3 हिस्सा खातेदारी काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिया जाता है। प्रतिवादीगण 1 से 5 के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि वादग्रस्त आराजी के वादीनी के सहखातेदारी हिस्सों की भूमि में वादीनी के कब्जा काश्त में उपयोग–उपभोग में बाधा, रोक–टोक, दखलन्दाजी नहीं करें न ही किसी से करावें तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार देसूरी को निर्णय एवं डिक्री पर्चा की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 3 सन् 2022 को जारी किया गया।

मोहर

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायना	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस गवाहन			बाबत इजराय हुक्म नामा मुल्फरिक		
फीस कमीश्नर			मिजान		
बाबत इजराय हुक्म नामा					
मिजान					

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 16:09:01 IST
Reason: SelfAttested